

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 3/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर

सा.का.नि. 701 (अ).— केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6 से धारा 16, धारा 18 से धारा 20 और धारा 23 से धारा 26 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एस-31011/25/2017-एसटी-I-डीओआर]

एस. आर. मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 3/2017 – Union Territory Tax

**G.S.R.701 (E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2017, as the date on which the provisions of sections 6 to 16, 18 to 20 and 23 to 26 of the said Act shall come into force.

[F. No. S-31011/25/2017-ST-I-DOR]

S. R. MEENA, Under Secy.